2/4 आज यह पत्रावली पेश हुई। कुलीन उप०।
प्रा०पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया।
शपथ० के किया गया। प्रा०पत्र पर बहस
की गई। प्रार्थी/वादी के द्वारा प्रा०पत्र
प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी
वादनी के मय दावा हाजा तैयार करते
समय सहवन से प्रकरण में किचिक्ती
रहने के कारण प्रार्थिया वादनी को
यथोचित अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकता
इस कारण प्रार्थिया वादनी को उपरोक्त
प्रकरण दावा हाजा विदड्रो कर नये सिरे
से दावा पेश किया जाना आवश्यक
है। इस कारण प्रार्थिया वादनी को दावा
हाजा विदड्रो किया जाकर नये सिरे से
दावा पेश करने की अनुमति प्रदान
किया जाना न्यायोचित है। प्रा० पत्र स्वीकार
किया जाकर प्रार्थिया वादनी द्वारा प्रस्तुत

दावा दाजा मे विधिक त्रुटी होने के कारण दावा दावा विड्रो किया जाकर नेय सिरे से दावा पेश करने की अनुमति प्रदान किये जाने के कृपा पूर्वक आदेश पारित करने की कृपा करेगी अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र की नकल प्रतिवादी। अप्रार्थी के वकील को दिया गई। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद-पत्र में वादनी द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं रही है। वादिया द्वारा अपना वाद-पत्र सोच-समझकर पेश किया गया है। वास्तविकता यह है कि वाद-पत्र में पेश इकबाल जवाब दावा पर प्रार्थिया-प्रतिवादनी संख्या 3 का झूठा फर्जी हस्ताक्षर कर न्यायालय श्रीमान को गुमराह करने के लिये व मुझ प्रतिवादनी स. 03 को नुकसान कारित करने के लिये पेश किया गया है। जिस वाद-पत्र मे प्रतिवादनी को अपना जवाब दावा पेश कर सुनाई का समुचित अवसर देते हुये वाद-पत्र का अन्तिम निर्णय पारित किया जाना न्याय संगत है। वाद-पत्र निर्णय की स्टेज पर है। जिसमें मुझ प्रतिवादनी स. 03 का फर्जी हस्ताक्षर कर वाद पत्र मे संलग्न किया जा चुका है। अगर इस स्टेज पर न्यायालय श्रीमान के द्वारा वाद-पत्र को विड्रो करने की अनुमति प्रदान की जाती है तो मुझ प्रतिवादनी स.03 का फर्जी हस्ताक्षर कर पेश किया गया इक जवाब दावा का कही पर भी दुरूपयोग किया जा सकता है। ऐसी सूरत में मुझ प्रतिवादनी स. 03 की और से किये गये फर्जी इकबाल जवाब दावा को निरस्त किया जाकर मुझ प्रार्थिया।

प्रतिवादी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर वाद पत्र का अन्तिम निर्णय किया जाना न्याय संगत है तेरी सूरत में प्रार्थिया द्वारा पेश प्रार्थना - पत्र स्वीकार करमाये जाने योग्य है। स्वीकार किया जावे।

उभय पक्ष वकील की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। अतः प्रार्थी। वादनी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। वादनी को नया वाद पेश करने की इजाजत दी जाती है। पत्रावली में स्थान पर विड्रो किया जाता है। पत्रावली फैसल शुदा शामिल रेकर्ड से नष्ट हो। वाद प्रार्थी राजकीय उभय हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)